भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3037

उत्तर देने की तारीख : 08.08.2023

गरिमा गृहों हेतु निधि

3037. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री कुरूवा गोरांतला माधव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मार्च 2022 में प्रायोगिक योजना समाप्त होने के पश्चात 'गरिमा गृहों' के अनुबंध को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का 'गरिमा गृहों' के लिए 40-40-20 अनुपात के वित्तपोषण के किए गए वायदे के अनुसार, शेष 20 प्रतिशत वित्तपोषण के वितरण में तेजी लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) इस संबंध में निधि को जारी करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार उस गंभीर स्थिति से अवगत है, जिसमें 'गरिमा गृह' अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण चंदे, व्यक्तिगत अंशदान और ऋण पर निर्भर हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सम्पूर्ण एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय को 'गरिमा गृह' योजना के अंतर्गत लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार संसद और राज्य विधान सभाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु सीटें आरक्षित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 'गरिमा गृह' योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रयस्थल विगत एक वर्ष से निधि नहीं मिलने के कारण संकट में हैं और यदि हां, तो वायदे के अनुसार निधि के त्वरित संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (घ) और (छ): सरकार ने "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याणार्थ व्यापक पुनर्वास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम" नामक उप-स्कीम के साथ लाभवंचित व्यक्तियों की आजीविका एवं उद्यम के लिए सहायता (स्माइल) संबधी स्कीम शुरू की है जिसका एक घटक 'गरिमा गृह' है।

'गरिमा गृह' स्कीम का मुख्य लक्ष्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाओं, यथा आवास, भोजन, चिकित्सकीय देखभाल एवं मनोरंजन सुविधाओं के साथ एक आश्रय उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण /कौशल-विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा।

सरकार दिल्ली, थाणे, कोलकाता (2 गरिमा गृह), मुम्बई, भुवनेश्वर, बड़ोदरा, रायगढ़, चेन्नई, जयपुर, पटना और रायपुर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 12 ''गरिमा गृह''-आश्रय गृहों की स्थापना तथा उनके रखरखाव के लिए समुदाय आधारित संगठनों की सहायता करती है।

अभी तक, निरीक्षण रिपोर्टों और अनिवार्य दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर गरिमा गृह रायपुर, गरिमा गृह भुवनेश्वर और 'गरिमा गृह' दिल्ली को अनुदान का शेष 20% तथा उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए भी अनुदान सहायता मंजूर की गई है।

(ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(च): जी, नहीं।

(छ): यह उत्तर उपर्युक्त पैरा (क) के जवाब में शामिल है।

*****